

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।संख्या-5815/33-33 (2023-24) दिनांक 19 सितम्बर, 2024
विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-656/2024 के सम्बन्ध में।
महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-656/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 तथा दिनांक 12.08.2024 के क्रम में News Item titled "अवैध खनन को लेकर खनन विभाग एवं राजस्व विभाग ऊखीमठ द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही, 3 लाख से अधिक का लगाया जुर्माना" appearing in Uttrakhand Samachar dated 03-05-2024 से संबंधित प्रकरण में गठित समिति तथा अन्य विभागों द्वारा संबंधित स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 28.08.2024 को किया गया। अधोहस्ताक्षरी की ओर से उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ स्थलीय निरीक्षण में उपस्थित हुए।

उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा अपने पत्र संख्या-267/अहलमद-विविध/मा0रा0 ह0अधि0/2023-24 दिनांक 14 सितम्बर, 2024 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण से संबंधित संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या (Searchable PDF/OCR में) संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- यथोपरि।


भवदीय,


(सौरभ गह्रवार)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:-

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- डॉ0 विपिन गुप्ता, वैज्ञानिक-सी0, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
- 2- डॉ0 आर.के. चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।


जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

MC
8540
19/9

संख्या:- 257/अहलमद-विविध/मा0रा0ह0अधि0/2023-2024, दिनांक: 14 सितम्बर, 2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपयुक्त विषयक सादर अवगत करना है कि, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-656/2024 में पारित आदेश दिनांक: 01-07-2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के कार्यालय आदेश संख्या-5210/ दिनांक 14 अगस्त 2024 के द्वारा स्थान ग्राम मक्कू में विवादित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

इस सम्बन्ध में सादर अवगत करना है, कि उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक: 28-08-2024 को ग्राम मक्कू में विवादित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न का सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,


(अनिल कुमार शुक्ला)
उप जिलाधिकारी,
ऊखीमठ।

भा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 656/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या :-

उपरोक्त विषयक भा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 656/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :-

1. This Original Application is registered suo-moto on the basis of the news item titled "अवैध खनन को ले कर खनन विभाग एवं राजस्व विभाग ऊखीगढ द्वारा की गई यडी कार्यवाही, 3 लाख से अधिक का लगाया जुर्माना" appearing in Uttarakhand Samachar dated 03.05.2024.
2. The news item relates to illegal mining being done in Daida village in Pauri Garhwal district of Uttarakhand. As per the article, the Mining and Revenue Department conducted a surprise inspection and raid of the concerned area, on which the issue of illegal mining and transportation in village Makku area has come to light.
3. The news item states that during investigation, mining of minerals (soil-stone) was found by JCB machine in Makku Chopta Motorway land on the left side of the road in Mathiana Tok of village Makku. The news item further highlights that the mining activity was being carried out without any kind of permission from the concerned authorities. The article also highlights that a total of 672 cubic meters i.e. 1075.20 tons of 2 sub-minerals have been excavated. Furthermore, the total quantity of sub-mineral stone found at the site was 121.44 tons and the remaining quantity was already transported by the concerned offender. The Mining and Revenue Department has imposed a fine of Rs. 3,48,915 on the concerned person as well as the JCB that was being used for mining. The news item does not disclose any action taken by competent authority for imposition EC for damage caused by illegal mining.
4. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms, especially compliance of the Environment (Protection) Act, 1986 and Sand Mining Guidelines, 2016.
5. Power of the Tribunal to take up the matter suo-motu has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.
6. Hence, we implead the following as respondents in the matter:
 - (1). Uttarakhand Pollution Control Board, through its Member Secretary, Gaura Devi Bhawan, 46 B, IT Park Sahastradhara, Dehradun, Uttarakhand - 248 001.
 - (2). Central Pollution Control Board, through its Member Secretary, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032
 - (3). District Magistrate, Pauri Garhwal Dhara Rd, Pauri, Dhandri Talli, Uttarakhand - 246 001.
7. Issue notice to the above respondents for filing their response at least one week before the next date of hearing.
8. Having regard to the encroachment and extent of illegal mining as reflected in the news item and the photographs depicted therein, we deem it proper to form a joint Committee comprising of the representative of the Member Secretary, UPPCB; RO, MoEF&CC, Chandigarh and the District Magistrate, Pauri Garhwal. The District Magistrate, Pauri Garhwal will act as coordinating agency in the Committee. The joint Committee will visit the site, ascertain the correct position, the truthfulness of the facts disclosed in the news item as mentioned above and the extent of illegal mining which has been done in the area concerned and also suggest the remedial action and submit the action taken report before the Tribunal within eight weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.



भा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के कार्यालय आदेश सं0-5210 दिनांक 14 अगस्त, 2024 द्वारा निम्नवत् शर्तों का गठन करते हुए दिनांक 28.08.2024 को स्थलीय निरीक्षण करते हुए आस्था प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं -

1. डॉ0 विपिन गुप्ता, वैज्ञानिक-सी0 क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
2. डॉ0 आर.के. मसुबेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ई-115 मेहरू कॉलोनी, देहरादून।
3. उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग, वन प्रयाग, रुद्रप्रयाग द्वारा नागित प्रतिनिधि।
4. उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ।
5. उप निदेशक, ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रुद्रप्रयाग।

भा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 तथा जिलाधिकारी महेन्द्र के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 28.08.2024 को संयुक्त रूप से गठित शर्तों के सदस्यों द्वारा (उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग, वन प्रयाग रुद्रप्रयाग को छोड़कर) ग्रामवासियों गक्कू, ग्राम प्रधान तथा तथा भू-स्वामी की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया। (उपस्थिति संलग्न) आस्था निम्नवत् है :-

1- दिनांक 02.05.2024 को राजस्व विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम गक्कू क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन परिवहन की जांच के दौरान ग्राम गक्कू के गठियाणा टोक में राइडक के बायें किनारे जे0सी0वी0 मशीन द्वारा उपखनिज (मिट्टी पत्थर) का खनन करते पाया गया। गौके पर पूछ ताछ पर पता चला कि स्थल पर खनन का कार्य श्री केवलानन्द गैठानी पुत्र स्व0 कुलानन्द गैठानी निवासी ग्राम गक्कू गठियाणा द्वारा कराया जा रहा है। गौके पर श्री केवलानन्द को बुलाया गया तथा पूछने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर भवन निर्माण हेतु भूमि समतलीकरण/खुदान का कार्य कराया जा रहा है। भूमि समतलीकरण/खुदान वास्तु अनुमति पत्र मांगे जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। निरीक्षण के दौरान उत्खनित स्थल की पैमाईस की गयी, जिसकी लम्बाई 24 मी0, चौ0 8 मी0 (औसत) तथा ऊँचाई 3.5 मी0 (औसत) पायी गयी। उक्तानुसार स्थल से कुल 672 घन मी0 अर्थात् 1075.20 टन उपखनिज उत्खनित हुयी थी, जिसमें उपखनिज पत्थर कुल 121.44 टन गौके पर पाया गया। शेष उपखनिज (मिट्टी-पत्थर) का उपरोक्त भू-स्वामी द्वारा पूर्व में ही अन्यत्र परिवहन कर दिया गया था। गौका फर्द (संलग्नक-1) तैयार कर हरताथर किये गये। उपरोक्त बिना अनुमति के भूमि समतलीकरण/खुदान करना तथा खनिजों का परिगहन करना उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 3 तथा 53 (2) (4) में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन पाये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियारण) नियमावली-2021 यथा संशोधित दिनांक 14.11.2023 के नियम 14 (5) (क) (ख) के अन्तर्गत उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर (प्रथमवार में) रायट्टी का दो गुना कुल ₹ 1,48,915.00 की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या-09/दिनांक 03 मई, 2024 (संलग्नक-2) द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया। उपरोक्त नोटिस के क्रम में श्री केवलानन्द द्वारा कुल देय धनराशि ₹ 1,48,915.00 को ई-चालान सं0-08530524E0039397 दिनांक 18 मई 2024 (संलग्नक-3) द्वारा जमा कर दिया गया। उक्त के अतिरिक्त बिना अनुमति के भूमि समतलीकरण में लिफ्ट जे.सी.वी. मशीन सं0 UK13 CA-5511 पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के नियम 14 (2) के अन्तर्गत जे0सी0वी0 हेतु निर्धारित अर्धदण्ड ₹ 2,00,000.00 की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या- 25/दिनांक 15 मई, 2024 (संलग्नक-4) द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया। उपरोक्त नोटिस के क्रम में श्री राजकुमार तिवारी, मशीन स्वामी द्वारा निर्धारित अर्धदण्ड ₹ 2,00,000.00 का ई-चालान सं0 08530524E0059906 दिनांक 27 मई, 2024 (संलग्नक-5) द्वारा जमा कर दिया गया। उक्त के क्रम में कार्यालय आदेश सं0 43/दिनांक 29 मई, 2024 (संलग्नक-6) द्वारा राजस्व उप निरीक्षक देड़ा, तहसील ऊखीमठ की अगिरक्षा में रखी गयी जे0सी0वी0 मशीन को अवमुक्त करने के आदेश दिये गये।

2- राजस्व अभिलेखानुसार समतलीकरण/खुदान की गयी भूमि खाता सं0 13 के खसरा सं0 3893 व 3894 कुल रकबा 0.071 है0 श्री केवलानन्द पुत्र स्व0 कुलानन्द ग्राम गक्कू पटवारी क्षेत्र देड़ा तहसील ऊखीमठ के नाम श्रेणी 1 (क) (संक्रमणीय अधिकारवाले भूमिधरों की भूमि) वर्ज अभिलेख है। गठन के निर्माण हेतु









समतलीकरण/खुदान की गयी भूमि पर मालिकाना हक श्री केवलागन्द गैठानी का है, जिसमें निरीक्षण दिनांक 28.08.2024 को भवन निर्माणधीन पाया गया। खरारा एवं खतीनी की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-7)

3- मौका निरीक्षण दिनांक 28.08.2024 को मौके पर उपस्थित भू-स्वामी श्री केवलागन्द द्वारा लिखित बयान दिया गया, जिसमें दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं जो उल्लेख किया गया है कि " मैं केवलागन्द गैठानी पुत्र कुलानन्द गैठानी ग्राम मक्कू तहसील ऊखीगठ जनपद रुद्रप्रयाग ताला बयान देता हूँ कि ग्राम मक्कू क्षेत्रान्तर्गत ख0खा0 सं0 13 के खरारा सं0 3893, 3894 कुल रकबा 0.0710 है0 भूमि गेरी पुरतीनी (याप-दादा) की है, जिसमें भवन निर्माण हेतु भूमि का समतलीकरण किया गया। भूमि समतलीकरण हेतु अनुगति सक्षम स्तर से लिये जाने की पूर्व में जानकारी ना होने के कारण अपनी भूमि समतल की गयी। विभाग द्वारा जांच के दौरान बिना अनुगति समतलीकरण करने/अपनी भूमि खुदान करने पर निकले उपखनिज व बिना अनुगति जे0सी0वी0 मशीन के प्रयोग करने पर विभाग द्वारा लगाया गया जुर्माना समस्त विभाग को जमा कर दिया गया है वर्तमान में समतलीकरण किये गये भूमि पर अपना आवासीय का भवन निर्माण कर रहा हूँ, जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है"। (संलग्नक-8)

4-उक्त के अतिरिक्त मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधान द्वारा एक लिखित प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि " प्रमाणित किया जाता है कि श्री केवलागन्द गैठानी पुत्र स्व0 श्री कुलानन्द गैठानी ग्राम मक्कू जो मक्कूगठ तहसील ऊखीगठ जनपद रुद्रप्रयाग के मूल निवासी है, इनका ख0खा0 सं0 13 के खरारा सं0 3893 कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0 नाप भूमि पर जो कि राजस्व विभाग द्वारा जारी है, पर अपना आवासीय भवन निर्माण कर रहे है, जिसमें ग्राम समा कि कोई आपत्ति नहीं है। अतः मैं इन्हें गली भाँति जानता हूँ तथा इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ "। (संलग्नक-9)

5-प्रकरण में भू-स्वामी द्वारा अपनी निजी नाप भूमि पर भवन निर्माण हेतु भूमि समतलीकरण किया गया है जिसमें भवन निर्माणधीन है। पूर्व में भू-स्वामी व जे0सी0वी0 मशीन स्वामी पर बिना अनुगति के खुदान करने व उपखनिज का अन्वत्र परिवहन करने पर अधिरोपित धनराशि दोनों व्यक्तियों द्वारा जमा कर दी गयी है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। स्थल पर भवन निर्माण करने पर मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों, ग्राम प्रधान आदि को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

सादर प्रेषित।



(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून



(डा0 विपिन गुप्ता)
वैज्ञानिक सी
क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, देहरादून



(वीरेंद्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
रुद्रप्रयाग।



(अनिल कुमार)
उप जिलाधिकारी
ऊखीगठ
जनपद रुद्रप्रयाग

आज दिनांक 02/5/2024 को भूतक एवं खनिकर्म विभाग रुद्रप्रयाग के प्रतिनिधि उपनिदेशांक 435, खान जाधिकारी तथा राजस्व विभाग के प्रतिनिधि क्षेत्रीय राजस्व उपनिदेशक (दंडा) द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम भक्कु क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं खान जाधिकारी की जांच की जाती। जांच के दौरान ग्राम भक्कु के भट्टियाणा तोरु में सड़क के बायें किनारे (भक्कु-चोपता मोटर मार्ग) को सी.वी. मजीन से खनन (मिट्टि-पत्थर) किया जाना पाया गया। मौके पर प्रुल-ताप पर पता चला कि स्थल पर खनन का कार्य श्री केवलानन्द मैथानी पुत्र स्व. श्री कुलानन्द मैथानी द्वारा शुरू भट्टियाणा द्वारा कराया जा रहा है। मौके पर उपरोक्त श्री केवलानन्द द्वारा मौके पर बुलाया गया तथा प्रुल पर जांच कराया गया स्थल पर भवन निर्माण हेतु समतलीकरण/खुदान का कार्य किया जा रहा है। भूमि के समतलीकरण/खुदान वास्तु अनुमति प्राप्त मांगी जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया, कतः प्रमाण विना सक्षम स्त्रा के अनुमति प्राप्त के खनन किया जाना उल्लंघन उपलब्धि (सीमा) नियमावली-2023 के नियम 3 का उल्लंघन है। मौका स्थल पर उत्खनित क्षेत्र की पैमाईश की जाती जिसकी लम्बाई 24 मी. चौं 8 मी. (औसत) तथा ऊं. 3.55 (औसत) मापी जाती। उत्खनित स्थल पर मिट्टि व पत्थर लगभग 50-55 प्रशियत मात्रा में उत्खनित हुआ है। मौके पर उत्खनित पत्थर का एक-च सुरुक्षित पत्थर जिसकी ल. 9 मी. चौं 3 मी. तथा ऊं. 1.70 मी. पायी जाती। मौका स्थल पर ~~कुल पत्थर~~ कुल पत्थर (स्वस्थान चट्टान) विखरी अवस्था में भी पाये है जो लगभग 05 टन (06 पनमी. प्रत्येक) पाये है। प्रयत्नात स्थल के पूरव दिशा में उपर श्री कुशलानन्द की औखाला, पश्चिम दिशा में श्री जय सिंह का जाकासीय भवन, उत्तर दिशा में भक्कु-चोपता मोटर मार्ग तथा दक्षिण दिशा में उपर उपरोक्त श्री केवलानन्द का जाकासीय भवन स्थित है। प्रयत्नात स्थल का जी.पी.एस. कोर्डिनेट डू. 38° 28' 43" दक्षिण पूरव 79° 08' 16" है। प्रयत्नात स्थल राजस्व अभिलेखावली ग्राम भक्कु के खननी खाता सं. 13, खसरा सं. 3893 व 3894 कुल रकवा 0.07, मं. 0.020 है। क्षेत्रफल है जिसमें विना अनुमति खुदान कार्य पाया गया। भूमि के समतलीकरण/खुदान में विना अनुमति के प्रयुक्त जी.सी.वी. मजीन सं. UK12CA-5511 को सीड कर तहसील परीत में रखे करने हेतु मौके पर क्षेत्रीय राज. उ. नि. (दंडा) श्री गोविन्द लाल की सुपुर्जा में दिया गया। विस्तृत काव्या प्रथम से तैयार कर/नोडिस प्रेषित की जायेगी।

केवलानन्द मैथानी
मन्वर

गैर
31/05/2024
31/5
समावेदता न

02/5/2024
वीरेंद्र कुमार सिंह

॥ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रुद्रप्रयाग ॥

पत्रांक : ०१ / भू०खनि०वि० / रू०प्र० / अवै०खन० / 2024-25. दिनांक ०३ मई, 2024

// नोटिस //

श्री केवलानन्द मैठाणी पुत्र स्व० श्री कुलानन्द,
ग्राम मक्कू तोक मठियाणा,
रा०उ०नि० क्षेत्र दैडा,
तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग।


दिनांक 02.05.2024 को अधोहस्ताक्षरी एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधि क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, दैडा श्री गोविन्द लाल, तहसील ऊखीमठ द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम मक्कू क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन/परिवहन की जांच की गयी। जांच के दौरान ग्राम मक्कू के मठियाणा तोक में सड़क के बहायें किनारे (मक्कू-चोपता मोटर मार्ग) भूमि में जे०सी०वी० मशीन द्वारा उपखनिज का खनन (मिट्टी-पत्थर) किया जाना पाया गया। मौके पर पूछ-ताछ करने पर पता चला कि स्थल पर खनन का कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है। आपके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर भवन निर्माण हेतु समतलीकरण/खुदान कार्य किया जा रहा है। भूमि के समतलीकरण/खुदान बावत अनुमति पत्र मांगे जाने पर आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये खनन किया जाना उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 3 तथा उक्त नियमावली के अध्याय 6 के नियम 53 (2) में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन है। जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 यथा संशोधित 14.11.2023 के अर्न्तगत अवैध उत्खनित खनिज की मात्र पर प्रथम बार में प्रचलित रायल्टी का दो गुना अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है।

मौका स्थल पर उत्खनित क्षेत्र की पैमाईस की गयी, जिसकी लम्बाई 24 मी०, चौ० 8 मी० (औसत) तथा ऊँ० 3.5 मी० (औसत) मापी गयी। इस प्रकार कुल 672 घनमीटर अर्थात् 1075.20 टन उपखनिज (पत्थर मिट्टी) जो लगभग 50-50 प्रतिशत का उत्खनन हुआ है, जिसमें से मौके पर उपखनिज पत्थर का एक चट्टा लं० 9 मी०, चौ० 3 मी० तथा ऊँ० 1.70 इस प्रकार कुल 45.90 घन मीटर अर्थात् 73.44 टन तथा स्थल पर बिखरी अवस्था में लगभग 5 ट्रक (प्रत्येक 6 घनमीटर) कुल लगभग 30 घनमीटर अर्थात् 48 टन इस प्रकार स्थल पर कुल उपखनिज पत्थर की मात्रा 121.44 टन पायी गयी तथा शेष उपखनिज (पत्थर मिट्टी) का आपके द्वारा अन्यत्र परिवहन कर दिया गया है।

मौके पर उत्खनित उपखनिज कुल मात्रा 672 घन मीटर अर्थात् 1075.20 टन में से 50 प्रतिशत उपखनिज मिट्टी की मात्रा 537.60 टन पर रायल्टी का दो गुना (537.60X100) =53,760 तथा 50 प्रतिशत उपखनिज पत्थर (स्वस्थाने किस्म की चट्टान/नदी तल से भिन्न स्थान) की मात्रा 537.60 टन पर रायल्टी का दो गुना (537.60X177)=95,155.00 इस प्रकार कुल रू०-1,48,915.00 की धनराशि अधिरोपित होती है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा बिना अनुमति के उत्खनित उपखनिज कुल मात्रा 672 घन मीटर अर्थात् 1075.20 टन में से 50 प्रतिशत उपखनिज मिट्टी की मात्रा 537.60 टन पर रायल्टी का दो गुना (537.60X100) =53,760 तथा 50 प्रतिशत उपखनिज पत्थर (स्वस्थाने किस्म की चट्टान/नदी तल से भिन्न स्थान) की मात्रा 537.60 टन का अवैध खनन किये जाने पर देय कुल धनराशि रू०-1,48,915.00 को ई-चालान के माध्यम से निर्धारित लेखाशीर्षक 0853 00 102 01 00 में जमा कराते हुए अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये अथवा आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है तो अपना पक्ष/प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में आपके विरुद्ध अवैध उपखनिज की मात्रा पर उपरोक्तानुसार देय धनराशि अधिरोपित करते हुए भू-राजस्व की भांति धनराशि वसूल की जायेगी।

संलग्नक- 1)- फर्द
2)- फोटोग्राफ


(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:-

2-

3-

जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
तहसीलदार, ऊखीमठ को 02 प्रतियों में इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की एक प्रति संबंधित पक्ष पर तामिल कराते हुए तामिली आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
श्री गोविन्द लाल रा0उ0नि0 क्षेत्र दैड़ा तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 02.05.2024 को आपकी सुपुर्दगी में दी गयी जे0सी0बी0 मशीन संख्या- यू0के0 13 सी0ए0-5511 को अधोहस्ताक्षरी के अग्रिम आदेशों तक अपनी अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित जे0सी0बी0 मशीन को बिना अनुमति के अवमुक्त की गयी तो सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount



Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch - State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed Successfully

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	KEWLANAND MAITHANI SO KULANAND MAITHANI
2	Address	MAKKU
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	MINING PENALTY
5	Gross value of Challan	148915
6	Net value of Challan	148915
7	Deaprtment	Director Industries
8	Related office for which challan is to be deposit	District Mine Officer Rudraprayag
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	148915
	Total Challan Amount-		148915

Amount (in words) - Rs. One Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred Fifteen only

Signature of departmental officer with seal

KEWLANAND MAITHANI SO KULANAND
MAITHANI

Challan No- 08530524E0039397	Amount in Figure(Rs.) - 148915
Date - 18-MAY-2024	Amount in words - Rs. One Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred Fifteen only
	Received Through
	Bank Ref. No. - CPADVBGKJ8
	State Bank Of India (Payment Gateway)

॥ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग ॥

पत्रांक : 25/भू0खनि0वि0/रू0प्र0/अवै0खन0/2024-25, दिनांक 15 मई, 2024

// नोटिस //


श्री राजकुमार तिवारी पुत्र भगवती प्रसाद तिवारी,
ग्राम चुन्नी, रा0उ0नि0 क्षेत्र ऊखीमठ,
तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग।

दिनांक 02.05.2024 को अधोहस्ताक्षरी एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधि क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, दैड़ा द्वारा ग्राम मक्कू क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन/परिवहन की जांच की गयी। जांच के दौरान ग्राम मक्कू के मठियाणा तोक में सड़क के बायें किनारे (मक्कू-चोपता मोटर मार्ग) भूमि में जे0सी0बी0 मशीन द्वारा उपखनिज का खनन (मिट्टी-पत्थर) किया जाना पाया गया। भू-स्वामी श्री केवलानन्द मैठाणी पुत्र स्व0 श्री कुलानन्द, ग्राम मक्कू तोक मठियाणा द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर भवन निर्माण हेतु समतलीकरण/खुदान कार्य कराया जा रहा है। जिसकी अनुमति मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मौके पर राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 यथा संशोधित 14.11.2023 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत मौका फर्द तैयार किया गया तत्समय मशीन स्वामी का नाम व पता की जानकारी ना होने के कारण मौका फर्द में उल्लेख नहीं किया गया। जे0सी0बी0 मशीन के स्वामी का नाम व पता की जानकारी दिये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-12/दिनांक 04 मई, 2024 द्वारा उपरोक्त राजस्व उप निरीक्षक दैड़ा को वाटसएप के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.05.2024 को वाटसअप के माध्यम से प्रेषित पत्र में उपरोक्त ग्राम मक्कूमठ के मठियाणा तोक में भूमि समतलीकरण/खनन में लिप्त जे0सी0बी0 मशीन के स्वामी श्री कर्मवीर सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह ग्राम चुन्नी, रा0उ0नि0 क्षेत्र व तहसील ऊखीमठ का नाम उल्लिखित किया गया था। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 20/भू0खनि0वि0/रू0प्र0/अवै0खन0/2024-25 दिनांक 10 मई, 2024 द्वारा उपरोक्त श्री कर्मवीर सिंह को नोटिस निर्गत किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक दैड़ा द्वारा वाटसअप के माध्यम से प्रेषित पत्र दिनांक 14.05.2024 समय सायं 5:54 को प्रेषित खुलास रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि "श्री कर्मवीर द्वारा अवगत कराया कि मैं और श्री राजकुमार तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी ग्राम चुन्नी द्वारा पार्टनर के तौर पर कार्य किया जाता है। जे0सी0बी0 मशीन संख्या- UK 13CA- 5511 श्री राजकुमार तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी ग्राम चुन्नी के नाम आर0सी0 जारी है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त नोटिस जे0सी0बी0 स्वामी श्री राजकुमार तिवारी पुत्र भगवती प्रसाद तिवारी ग्राम चुन्नी के नाम से अभिलेखों के आधार पर जारी होना है"। राजस्व उप निरीक्षक दैड़ा के उपरोक्त पत्र दिनांक 14.05.2024 के दृष्टिगत इस कार्यालय के नोटिस पत्रांक: 20/दिनांक 10 मई, 2024 को निरस्त करते हुए आपके द्वारा बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन से भूमि समतलीकरण/खुदान किये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के नियम 14 (2) के अन्तर्गत रू0 2.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित होता है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बिना अनुमति के भूमि समतलीकरण/खुदान में प्रयुक्त किये गये जे0सी0बी0 मशीन पर देय धनराशि रू0 2.00 लाख को ई-चालान के माध्यम से निर्धारित लेखाशीर्षक 08530010201 में जमा कराते हुए अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये अथवा आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है तो अपना पक्ष/प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में आपके विरुद्ध बिना अनुमति के भूमि समतलीकरण/खुदान में प्रयुक्त जे0सी0बी0 मशीन सं0 UK13 CA-5511 पर उपरोक्तानुसार देय धनराशि अधिरोपित करते हुए भू-राजस्व की भांति धनराशि वसूल की जायेगी।

संलग्नक- फर्द, फोटोग्राफ व रा0उ0नि0 दैड़ा की रिपोर्ट।


(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।


प्रतिलिपि:-
2-

जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


तहसीलदार, ऊखीमठ को 02 प्रतियों में इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की एक प्रति संबंधित पक्ष पर तामिल कराते हुए तामिली आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3-

श्री गोविन्द लाल राउत0नि0 क्षेत्र दैडा तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 02.05.2024 को आपकी सुपुर्दगी में दी गयी जे0सी0बी0 मशीन संख्या- UK13CA-5511 को अधोहस्ताक्षरी के अग्रिम आदेशों तक अपनी अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित जे0सी0बी0 मशीन को बिना अनुमति के अवमुक्त की गयी तो सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।


उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

de

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch - State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed Successfully

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	RAJKUMAR TIWARI SO BHAGWATI PRASAD
2	Address	VILLAGE CHUNNI PC UKHIMATH - TEHSIL UKHIMATH
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	भूमि समतलीकरण खुदान में बिना अनुमति के J C B के उपयोग हेतु चावान
5	Gross value of Challan	200000
6	Net value of Challan	200000
7	Deaprtment	Director Industries
8	Related office for which challan is to be deposit	District Mine Officer Rudraprayag
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	200000
Total Challan Amount-			200000

Amount (in words) - Rs. Two Lakh only

Signature of departmental officer with seal

 RAJKUMAR TIWARI SO BHAGWATI
 PRASAD

Challan No- 08530524E0059906

Amount in Figure(Rs.) - 200000

Date - 27-MAY-2024

Amount in words - Rs. Two Lakh only

Received Through

Bank Ref. No. - CPADV PINDI

State Bank Of India (Payment Gateway)

॥ आदेश ॥

कार्यालय नोटिस संख्या-25/भूखनि0वि0/रू0प्र0/अवै0खन0/2024-25 दिनांक 15 मई 2024 के द्वारा ग्राम मक्कू के मठियाणा तोक में सड़क के बांये किनारे (मक्कू-चोपता मोटर मार्ग) भूमि समतलीकरण/खुदान कार्य बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन (UK-13-CA/5511) के द्वारा किये जाने पर रू0-2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित करते हुए श्री राजकुमार तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी, ग्राम चुन्नी रा0उ0नि0 क्षेत्र ऊखीमठ तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग को नोटिस निर्गत किया गया। उक्त नोटिस तहसीलदार, ऊखीमठ के द्वारा व्हाट्स-अप के माध्यम से संबंधित के मो0नं0-9411550870 पर प्रेषित किया गया।

तहसीलदार, ऊखीमठ ने अपने पत्रांक-309/टी0सी0-नोटिस/2024 दिनांक 28 मई 2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री राजकुमार तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी ग्राम चुन्नी तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 27.05.2024 को जे0सी0बी0 मशीन संख्या यू0के0 13 सी0ए0/5511 पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-2.00 लाख का चालान संख्या-08530524E0059906 दिनांक 27.05.2024 को निर्धारित लेखाशीर्षक 0853001020100 में जमा कर दिया गया है।

अतः श्री राजकुमार तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी ग्राम चुन्नी तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा उनके जे0सी0बी0 मशीन (UK-13-CA/5511) पर बिना अनुमति के भूमि समतलीकरण/खुदान कार्य किये जाने पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि रू0-2.00 को ई-चालान संख्या 08530524E0059906 दि0 27.05.2024 को निर्धारित लेखाशीर्षक 0853001020100 में जमा खजाना कर दिये जाने के दृष्टिगत, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र दैड़ा तहसील ऊखीमठ की अभिरक्षा में रखी गयी उक्त जे0सी0बी0 मशीन को अवमुक्त किया जाता है।

ॐ/-
(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

॥ कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग ॥

संख्या- 43 /भूखनि0वि0/रू0प्र0/अवै0खन0/2024-25 दिनांक मई, 29 /,2024

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 1- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड भोपालपानी-देहरादून।
 - 2- जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग।
 - 3- उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ।
 - 4- तहसीलदार, ऊखीमठ।
 - 5- राजस्व उप निरीक्षक, दैड़ा तहसील ऊखीमठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी अभिरक्षा में रखी जे0सी0बी0 मशीन (UK-13-CA/5511) को अवमुक्त करते हुए संबंधित पक्ष को सुपुर्द करना सुनिश्चित करें।
 - 6- श्री राजकुमार तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी ग्राम चुन्नी तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग।


उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

उद्धरण खतीनी

तहसील : उदीमठ

जनपद : रुद्रप्रयाग

फाती बरें : 1408-1413

ग्राम का नाम / परतना : मरफू (ईडा)(ऊदीमठ)

सं. 042162

उपरोक्त को मरफूपीय अधिकार वाले श्रमिकों के अधिकारों के

अनुषंगिक अधिकार का नाम / पिता या पिता के अधिकार का नाम /

काम के नाम

2

श्रमिक अधिकार परतना होने का वर्ष	आते के परतके गाटे की जबरता संख्या	परतके गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	आतेदार द्वारा देय भारतुआरी या समान	परिचय संख्या आता या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आता देने वाले अधिकारी का पद
3	4	5	6	7-12
1373	114	0.0210	4.00	<p>शु.0 आ.0 श्रीमान शु.0 का.0 महींदर ऊदीमठ के आदेश दि.027.6-2004 के अनुपालन में मुरक कुमानन एवं नोकामन के अलावा उनके अधिकार कब्रानन नोकरदरत प्रयाण कुमानन के नाम बा.0 आ.0 श्रीमान होने में अमन रातमर किया इ.0पटादी</p>
1373	115	0.0130		
1373	119	0.0100		
1373	120	0.0280		
1373	138	0.0130		
1373	139	0.0050		
1373	216	0.0280		
1373	217	0.0180		
1373	218	0.0210		
1373	219	0.0190		
1373	220	0.0140		
1373	221	0.0200		
1373	222	0.0190		
1373	520	0.0300		
1373	521	0.0130		
1373	522	0.0100		
1373	535	0.0310		
1373	536	0.0190		
1373	537	0.0600		
1373	538	0.0080		
1373	1720	0.0060		
1373	1768	0.0060		
1373	1772	0.0010		
1373	1777	0.0230		
1373	2284	0.0060		
1373	2289A	0.0010		
1373	2295	0.0130		
1373	2296	0.0060		
1373	2339	0.0210		
1373	2343	0.0230		
1373	2709	0.0200		
1373	2709	0.0250		
1373	2891	0.0150		
1373	2892	0.0230		
1373	2893	0.0280		
1373	3850	0.0800		





वार्ड/समूह/विकास क्षेत्र का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवासी स्थान	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	घाते के प्रत्येक गाटे की बचरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	आतिदार द्वारा देय मासपुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आह्रा या उनका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक राहित और आह्रा देने वाले अधिकारी का पद
1	2	3	4	5	6-12
	1373	3893 ✓	0.0210		
	1373	3894 ✓	0.0500		
	1373	3912	0.0030		
	1373	2913	0.0340		
	1373	2914	0.0380		
	1373	4032	0.0240		
		42	0.8650		

कुल गाटे: चार को कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव आठ छ: पाँच कुल भू-राजस्व: चार दशमलव शून्य शून्य

Data Digitally Signed by : DHANPAL SINGH BHANDARI



अधिकारी : TEHSILDAR

उपरीमंड

जनपद : रु

दिनांक एवं समय : 14-05-2024 10:55:16

यह उद्धरण खर्चीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल सिस्टम द्वारा वेबार्ग की गयी है तथा राया डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

फसल खसरा पत्र को-3

खसरा नं- 78

ग्राम मोहन पटवारी वृत्त 551 तहसील जलंधर जनपद सद्दशमण्डल। फसली वर्ष से फसली वर्ष

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	खतौनी संख्या	खतौनी के भाग में खातेदार का नाम	भाग 2	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल															क्षेत्र में खतों की संख्या	तिवरण
						खरीफ	रवि	फसल सि०	असि०	फसल सि०	अ०	फसल सि०	अ०	सि०	अ०	भाग	मूषि	सि०	अ०	भाग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
3893	01021	13	कुमारगड ठान			खान	खान	01021									खान	01020				
3894	01050	13	मोहनार खातेदार					01050														

मुलाकाद नकल खसरा अलग से भेजा गया

20/10/2020
 पटवारी वृत्त
 जलंधर

मैं केवलानन्द मेढाणी पुत्र कुलानन्द मेढाणी ग्राम मम्बू तहसील
जनपद रुद्रप्रयाग वाला वयान देता हूँ कि ग्राम मम्बू क्षेत्रांतर्गत ख.खा.
सं. 13 के खसरा सं. 3893, 3894 कुल रकवा 0.0710 है। भूमि मेरी
पुस्तैनी (बाप-दादा) से है जिसमें भवन निर्माण हेतु भूमि का
समतलीकरण किया गया। भूमि समतलीकरण हेतु अनुमति सक्षम
स्तर से लिये जाने की पूर्व में जानकारी ना होने के कारण अपनी
भूमि समतल की जाती है। विभाज डायलॉग के दौरान बिना
अनुमति समतलीकरण किये/रूपनी भूमि खुदान किये पर निकले
उपलब्ध व बिना अनुमति डी.ए.ड. मशीन के प्रयोग करने
पर विमर्श डायलॉग लयाया गया। लुम्बिना समस्त विमर्श का
जमा कर दिया गया है। वर्तमान में समतलीकरण किये गए
भूमि पर आपना आवासीय भवन का निर्माण कर रहा हूँ जिसे
किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

जवाब

① ~~श्री. के. वि. के. के.~~

श्री. अक्षय

② (भूपाल मेढाणी)

ग्राम - मम्बू मंड

पोस्ट - मम्बू मंड

जनपद - रुद्रप्रयाग


28/8/2024

~~संलग्नक~~

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री केवलानन्द मैराठी पुत्र श्री कुलानन्द मैराठी ग्राम प्रखर जो ०००००००० तहसील अरबीमठ जनपद रुद्रप्रसाग के शूल निवासी हैं। इनका ख० खा० सं० 13 के खसरा सं० 3813 कुल क्षेत्रफल ०.०७१० है। गाप यदि पर जो कि राजस्व विभाग द्वारा जारी है, पर अपना अवासीय भवन निर्माण कर रहे हैं। जिसमें ग्राम सभा कि कोई आपत्ति नहीं है।

अतः मैं इन्हें माली जाति जानता हूँ तथा इनके उद्भवलय अविन्य की कामना करता हूँ।

स्थान- प्रखर

दि - 28/08/2024



Srn	Name Designation	Mobile / Gix	Pir
1	Dr. Vikram Gupta Sci-C	Mo ECE, Dehradun	
2	Dr. R.K. Chatterjee	RO UKPCB	
3	Bairendra Kumar Singh	Dept of Geology & Mining, Rudrapur	Patil
4	Rakesh Khandelwal	ALL UKPCB	
5	Shripender Redi Thaw	Village and Panch	
6	Necraj Mishra	Surveys Dept. of Geology & Mining Rudrapur	Negi
7	Yashpal Singh Negi	Yashpal Singh	
8	Vijaypal Singh (Pradhu)		
9	Anil Kumar Shukla SDM UKPCB		